संख्या-05/2019/सा-3-91/दस-2019-301(9)/2019

प्रेषक

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव-वित्त

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-

उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः13 फरवरी 2019

विषयः- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान में संशोधन।

महोदय

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी में 01 अप्रैल 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है। उक्त अधिसूचना द्वारा वित्तीय सेवायें विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible]रूधीदकमीण्नवण्दपबण्पद से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-5/7/2003-ईसीबी खण्ड पीआर दिनांक 23 अगस्त 2003 के अनुरूप यह व्यवस्था की गयी कि नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एन0पी0एस0) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा।

2- भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1/3/2016-पीआर दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत् वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव वित्त

संख्या-05/2019/सा-3-91(1)/दस-2019-301(9)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महानिबंधक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
3- निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक पेंशन निदेशालय इंदिरा भवन लखनऊ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव वित्त

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible]ण्नचण्दपबण्पद से सत्यापित की जा सकती है।